



अमृत वाणी

अपने को संकट में डाल कर कार्य संपन्न करने वालों की विजय होती है, कार्यों की नहीं।

-जवाहरलाल नेहरू,

प्रधानमंत्री ने की सौगातों की बौछार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल को अपने बस्तर दौरे के दौरान सौगातों की बौछार कर बस्तर में मानो नई जान फूंक दी। एक ओर जहाँ उन्होंने बीजापुर जिले के जांगला ग्राम से आरुपान भारत नामक राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ किया वहीं बस्तर के अन्य जिलों के लिए भी अनेक विकास कार्यों का डिजीटल शुभारंभ किया। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भानुप्रतापपुर से दुर्ग तक रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर कांकेर वासियों की बहुप्रतीक्षित आकांक्षा पूरी की। प्रधानमंत्री के आगमन से पूर्व हालांकि अपुष्ट तौर पर यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि जगदलपुर से हवाई सेवा का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री के करकर्मों से कराया जायेगा मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मात्र इतना कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के आग्रह पर प्रधानमंत्री ने जगदलपुर के एयरपोर्ट टर्मिनल भवन आदि की तैयारी को धूमकर देखा।

प्रधानमंत्री ने बस्तर दौरे के लिए 14 अप्रैल यानि अम्बेडकर जयंती के दिन को चुना और जांगला में अपने ऐतिहासिक उद्घोषण के दौरान अम्बेडकर के नाम का बार-बार जिक्र कर यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया कि वे एवं उनकी पार्टी बाबा साहब के कितने अधिक समर्थक हैं।

श्री मोदी ने अपने इस दौरे के द्वारा एक ओर जहाँ उनके प्रवास का विरोध कर रहे नक्सलियों की सारी चुनौतियों को मात दे दी, वहीं दूसरी ओर मौसम के तेवर को भी बेअसर कर दिया। मौसम विभाग की चेतावनी में यह दावा किया जा रहा था कि मौसम मोदी के प्रवास में बाधक बन सकता है मगर उनके प्रवास के दौरान मौसम पूरी तरह खुला रहा जबकि उनके जाने के बाद मौसम ने अपने रौद्र रूप का भरपूर प्रदर्शन कर डाला।

प्रधानमंत्री के इस दौरे से बीजापुर जिले का जांगला ग्राम, जिसे कोई जानता ही नहीं था न केवल सुविधियों में आ गया बल्कि उसकी छवि ही बदल गई। इस गांव के लोगों ने आजादी के बाद सात दशकों में जिन सारी चीजों, व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं आदि के बारे में कल्पना ही नहीं की थी, पिछले थोड़े से दिनों में वो सब कुछ देख भी लिया और आजमा भी लिया। प्रधानमंत्री ने सर्वाधिक सौगातें बीजापुर जिले को दी हैं जिनमें सड़क, पुल-पुलिया से लेकर स्वास्थ्य सुविधा तक शामिल है। कहना न होगा कि इतना दूरस्थ और अतिसंवेदनशील गांव में अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इतने करीब पाना ही स्थानीय निवासियों के लिए किसी विशाल उपलब्धि से कम नहीं था। वे उसी से सबसे ज्यादा गदगद महसूस कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री का यह दौरा सफल और सुरक्षित संपन्न होने पर राज्य शासन से लेकर बस्तर संभाग प्रशासन ने राहत की सांस ली है। दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री के विमान द्वारा उड़ान भरने के साथ ही पिछले लगभग एक माह से क्षेत्र में चल रही तैयारियों से जुड़े प्रशासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों से लेकर सुरक्षा कर्मियों सभी ने राहत की लंबी सांस ली है।

राजकाज

बाबाओं का खेल निराला

मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 5 सितों को राज्यमंत्री का दर्जा क्या दिया विवाद बढ़ता ही चला गया। इससे पहले कि मामला शांत हो पाता खबर आ गई कि पीएमओ ने नर्मदा घोटाले को लेकर कंप्यूटर बाबा के द्वारा पूर्व में की गई शिकायत को संज्ञान में ले लिया है और प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों व मंत्रालयों से जवाब तलब किया है। इस प्रकार विरोधी कह रहे हैं कि शिवराज सरकार ने जो सोचा था कि इन्हें राज्यमंत्री बनाकर उनकी सरकार बच निकलेगी लेकिन संभवतः इंधर को यह सब मंजूर नहीं था। गौरतलब है कि कंप्यूटर बाबा ने 28 फरवरी को नर्मदा घोटाला को लेकर पीएमओ को शिकायत भेजी थी और पूर्व कांग्रेस पार्षद पंडित योगेंद्र महंत के साथ 1 अप्रैल को उनका घोटाला कैपेन भी प्रस्तावित था लेकिन 31 मार्च को राज्य सरकार ने नदी संरक्षण को लेकर कमेंटी गिट कर कंप्यूटर बाबा और महंत सहित तीन अन्य सितों को राज्यमंत्री का दर्जा दे दिया। इसके फेरन बाद ही कंप्यूटर बाबा और योगेंद्र महंत ने अपनी यात्रा रद्द करने की घोषणा कर दी थी।

भाजपा वाले आंबेडकर

उत्तर प्रदेश में पहले तो बाबासाहब भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाओं के साथ छेड़छाड़ की गई और कुछ प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने की खबरें भी आईं, लेकिन अब जो खबर आई है उसने सभी को चौंका दिया है। दरअसल बताया जा रहा है कि बदायूँ जिले में लगी आंबेडकर की मूर्ति का रंग नीले से बदलकर भगवा कर दिया गया है। खास बात यह है कि कोट और ट्राउजर में दिखने वाले आंबेडकर की प्रतिमा को न सिर्फ भगवा रंग दिया गया बल्कि कोट की जगह शेरवानी पहना दी गई है। इसे देखते हुए व्यंग्य करते हुए लोग कह रहे हैं कि चलो अब आंबेडकर को भी भाजपा ने भगवा रंग में रंग दिया अब उन्हें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन इससे आंबेडकर की आत्मा को क्या तकलीफ हो रही होगी यह किसी ने नहीं सोचा होगा। बहरहाल अनेक दलित संगठनों ने इस संबंध में अपनी नाराजगी जाहिर की है।

ऐसे वीरों को सम्मान पुरस्कार मिलना ही चाहिए

हाल ही सरकार ने कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ के शिविर पर पिछले साल हुए फिदायीन हमले को नाकाम करने में असाधारण साहस दिखाने पर सीआरपीएफ के चार जवानों को बारी से पहले पदोन्नत किया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर उनकी बहादुरी को देखते हुए अगली उच्च रैंक पर जवानों की पदोन्नति का फैसला केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में 14 साल के अंतराल के बाद लिया गया है क्योंकि सरकार ने कुछ कारणों से यह नीति बंद कर दी थी।



जि न तीन जवानों को पदोन्नत किया गया है, उसमें हेड कांस्टेबल एसएस कृष्णा, कांस्टेबल दिनेश राजा और प्रफुल्ल कुमार शामिल हैं। ये तीनों 45वीं बटालियन में शामिल हैं। इन्होंने पिछले साल पांच जून को जम्मू कश्मीर के बांदिपुरा जिले में उनके शिविर पर हुए आतंकी हमले को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई थी। सीआरपीएफ ने एक बयान में कहा कि उनकी सतर्कता के कारण न केवल आतंकी हमला नाकाम हुआ, बल्कि चारों आतंकीवादी भी डेर हो गए। ताजा आदेश के साथ कृष्णा को पदोन्नत करके सहायक उपनिरीक्षक, जबकि दो अन्य सहयोगियों को हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा। 23वीं बटालियन में शामिल चौथे

जवान कांस्टेबल जी रघुनाथ उल्हास को हेड कांस्टेबल बनाया जाएगा।

ये तो, देश की रक्षा के लिए सन्नद्ध सभी सुरक्षा बलों के अधिकारी और जवान सदैव सम्मान के पात्र हैं। लेकिन असामान्य परिस्थितियों में असाधारण वीरता का प्रदर्शन करने वालों को अतिरिक्त सम्मान और पुरस्कार मिलना चाहिए। अगर 14 सालों तक यह परम्परा थमी रही है, तो उसका कारण वे शिकायतें भी रही होंगी, जो फर्जी एनकाउण्टरों के नाम पर की जाती रही हैं। हमारा मानना है कि कुछेक मामलों में हो सकता है, शिकायतों में सच्चाई रही हो, लेकिन उनके कारण हकदार सेनानियों को वंचित रखना उचित नहीं है। संदिग्ध मामलों की जांच जरूर की जाना चाहिए। लेकिन हकदारों की अनदेखी कदापि नहीं की जाना चाहिए।

अजित वर्मा
(वे लेखक के अपने विचार हैं)



जम्मू-कश्मीर के दो मंत्रियों के इस्तीफों ने भाजपा की छवि खराब होने से बचा ली है। इन मंत्रियों पर यह आरोप था कि इन्होंने उस हिंदू एकता मंच की सभा में भाग लिया था, जिसने बलात्कारी पुलिस अफसरों को बचाने की कोशिश की थी। इन पुलिसकर्मियों ने आसिफ नामक एक बकरवाल मुस्लिम लड़की; उम्र 8 साल के साथ पहले बलात्कार किया और फिर उसकी हत्या कर दी थी। इस जघन्य अपराध पर पर्दा डालने के लिए इसे सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा था। इस कुकृत्य की निंदा सिर्फ जम्मू-कश्मीर में ही नहीं, सारे देश में हो रही थी। सिर्फ भाजपा-पीडीपी गठबंधन की सरकार ही तनावग्रस्त नहीं हो गई थी बल्कि केन्द्र की मोदी सरकार पर भी उंगलियां उठने लगी थीं। इस घटना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा होने लगी थी। मोदी का मौन मनमोहनसिंह के मौन से भी ज्यादा दहाड़ें मार रहा था। यदि भाजपा इस मामले पर अकर्म की मुद्रा में कुछ दिन और रह जाती

कटुआ कांड : भाजपा की इज्जत बची

इस्तीफा अभी तक नहीं मांगा गया, क्योंकि वहां सरकार गिरने का डर नहीं है। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भाजपा को इस पहल पर हृदय से धन्यवाद दिया है और उनकी पार्टी ने इस बात पर गर्व प्रकट किया है कि पूरे भारत ने आसिफ को अपनी बेटी माना है। इस मौके पर महबूबा ने यह भी कहा है कि कश्मीर नौजवानों का असंतोष और गुस्सा चरम सीमा पर है। यदि उसका संतोषजनक समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो जम्मू-कश्मीर में अराजकता फैल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि सरकारों के पास अब कश्मीरियों की भी समस्याएं हल करने के रास्ते चुक गए हैं। यह स्थिति सचमुच चिंताजनक है।

डॉ. वेदप्रताप वैदिक
(वे लेखक के अपने विचार हैं)



क्या राजनैतिक उद्देश्यों के लिए यानि सत्ता प्राप्ति के लिए एक राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं द्वारा किसी दूसरी विरोधी सत्तासीन पार्टी के खिलाफ चलाये जा आन्दोलनों में सक्रिय भागीदारों को सरकारी खजानों से आर्थिक लाभ पहुँचाना जनहित में सही कदम है। यह प्रश्न कौंधता है वर्तमान भाजपा सरकारों द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को पेंशन देने के फैसलों पर एक तरफ तो केन्द्रीय व राज्य सरकारों अपने कर्मचारियों तथा अपने अधीन बैंक कर्मचारियों की पेंशन बंद कर रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण बैंकों के लगभग तीस हजार कर्मचारी-अधिकारी पेंशन के लिए वर्ष 2012 से केन्द्र सरकार की हठधर्मिता का खामियाजा भुगत रहे हैं और लगभग तीन हजार कर्मचारी पेंशन की इन्तजार करते करते परलोक सिंघार चुके हैं। दूसरी तरफ वे सरकारें अपने कार्यकर्ताओं को भी पेंशन की खैरात बाँट रहे हैं।

बुधवार 11 अप्रैल 2018 को चंडीगढ़ में हुई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य शुभ ज्योत्सना पेंशन तथा अन्य सुविधाएं योजना, 2018 को स्वीकृति प्रदान की गई जो प्रथम नवम्बर 2017 से लागू होगी। इस योजना के तहत, हरियाणा के ऐसे निवासियों को दस हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, जिन्होंने 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक आपातकाल की अवधि के दौरान सक्रिय रूप से भाग लिया और आन्तरिक सुरक्षा रखरखाव अधिनियम एमआरएसए 1971 और भारत के प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 के तहत कारावास जाना पड़ा। इसके अतिरिक्त, जो व्यक्ति हरियाणा के अधिवासी नहीं है परन्तु आपातकाल के दौरान हरियाणा से गिरफ्तार हुए और हरियाणा की जेलों में रहे, वे भी इस पेंशन के पात्र होंगे।

एक सरकारी सूचना के अनुसार इस योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा के ऐसे निवासी पात्र होंगे, जिन्होंने आपातकाल की अवधि के दौरान संघर्ष किया तथा चाहे उन्हें एमआरएसए अधिनियम, 1971 मीसा या भारत के प्रतिरक्षा अधिनियम, 1962 तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत एक दिन के लिए ही

कारावास जाना पड़ा हो। ये नियम ऐसे व्यक्तियों की विधवाओं के लिए भी लागू होंगे। लाभार्थी को इसके लिए सम्बन्धित जेल अधीक्षक द्वारा जारी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित जेल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई व्यक्ति रिकॉर्ड गुप्त होने या अनुपलब्ध होने के कारण जेल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता, तो वह दो सह-कैदियों से प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है। सह-कैदियों का ऐसा प्रमाणपत्र संबंधित जिले के विधायक या सांसद द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

इससे पहले वर्ष 2014 में राजस्थान की भाजपा सरकार ने भी एक अधिसूचना जारी कर राज्य में वर्ष 1975-1977 के दौरान मीसा एवं डी आई आर के अंतर्गत राज्य की जेलों में बंदी बनाये गए राज्य के मूल निवासियों को पेंशन दिए जाने सम्बन्धी मीसा एवं डी आई आर बंदियों को पेंशन नियम 2008 में कुछ संशोधन कर इसे बहाल किया था। भाजपा सरकार ने 2008 के अपने पूर्व के कार्यकाल में मीसा बंदियों को पेंशन प्रारम्भ की थी परन्तु कांग्रेस सरकार ने 2009 में सत्ता में आते ही इसे बंद कर दिया था। राजस्थान भाजपा सरकार ने पुनः सत्ता संभालते ही पेंशन को दोबारा से शुरू करने का फैसला लिया था। संशोधन के अनुसार पेंशन नियम 2008 के पैरा 10; क डू में वर्णित सभी मीसा व डी आई आर बंदियों एवं बंदियों की पत्नी या पति को अब हर महीने राजस्थान सरकार की तरफसे 12 हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी।

साथ ही सभी पेंशनर को पेंशन के साथ एक हजार दो सौ रुपये प्रतिमाह चिकित्सा सहायता भी नाद दी जाएगी, जिसके लिए किसी भी प्रकार का बिल प्रस्तुत नहीं करना होगा। यह सुविधा 1 जनवरी, 2014 से लागू होगी।

विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या किसी राजनैतिक पार्टी द्वारा अपने राजनैतिक हित के लिए सरकारी खजाने से अपने नेताओं व कार्यकर्ताओं को पेंशन दिया जाना या कोई आर्थिक लाभ पहुँचाना जनहित में उचित है? घृ पर इस प्रश्न पर विचार करने से पहले यह जानना भी उचित होगा कि आखिर मीसा बंदी हैं कौन? 1975 में जब इंदिरा गाँधी की कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन नसबंदी व अन्य जन दमनकारी नीतियों के विरोध में जनता में आक्रोश प्रस्तुत होने लगा तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी ने इस आक्रोश से साधारण तरीकों से निपटने में असफलता के बाद

देश में आपातकाल की घोषणा कर दी तथा आंतरिक सुरक्षा के नाम पर मेटेनेस आफ इंटर्नल सिक्युरिटी एक्ट यानि मीसा लागू कर दिया। जिसके तहत सरकार के खिलाफ जनता को आन्दोलन के लिए प्रेरित करने वाले विभिन्न राजनैतिक नेताओं व कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। लगभग सभी विरोधी पार्टियों के बड़े नेता मीसा में बंदी बनाये गए थे। लोगों ने मीसा को मेटेनेस आफ इंडिया संजय एक्ट नाम देकर खूब नारे बाजी की थी। जबरन नसबंदी के खिलाफ भी खूब विरोध पनपा था और नसबंदी के तीन दलाल, संजय, शुक्ला, बंसीलाल का नारा जन जन की जुबान पर चढ़ गया था।

19 माह तक जेल की रोटियां खाने के बाद 1977 में कांग्रेस विरोधी जबरदस्त लहर के चलते विभिन्न राजनैतिक पार्टियों के जमावड़े के रूप में जनता पार्टी की सरकार बनी। वर्तमान भाजपा के भी अधिकतर बुजुर्ग नेता उस समय के आन्दोलनों में किसी न किसी दल के साथ भाग ले रहे थे। भले ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तथा पुराने जनसंघ के अधिकतर सक्रिय कार्यकर्ता व नेता कांग्रेस विरोधी आन्दोलनों में शामिल रहते थे।

परन्तु क्या राजनैतिक उद्देश्यों के लिए यानि सत्ता प्राप्ति के लिए एक राजनैतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं द्वारा किसी दूसरी विरोधी सत्तासीन पार्टी के खिलाफ चलाये गए आन्दोलनों में सक्रिय भागीदारों को सरकारी खजानों से आर्थिक लाभ पहुँचाना जनहित में सही कदम है? घृ क्या जनता से वसूल गए टैक्स व जघनपन से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं व नेताओं को मात्र इस आधार पर कि उन्होंने विरोधी पार्टी को सत्ताच्युत करके अपनी पार्टी की सरकार बनवाने में अहम भूमिका अदा की है? प् सरकारी खजाने से बंदरबांट करना उचित है।

सरकार चाहे कितने ही हदमत से क्यों न बनी हो वो सरकारी धन की कस्टोडियन है मालिक नहीं। और कस्टोडियन अपने या स्वजनों के स्वार्थ साधने के लिए जनधन का दुरुपयोग करे, कदापि सही कदम नहीं हो सकता। पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मान देना किसी भी पार्टी का अधिकार भी है और कर्तव्य भी। परन्तु ऐसा पार्टी के अपने फूड से किया जाये तो ही जनता में अच्छा सन्देश जाता है। चिंता की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों द्वारा खली गई यह पेंशन की लीक कहीं भविष्य में खजाना लूट की परम्परा न बन जाये। अतः जरूरत है पुनर्चिन्तन की तथा दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए फैसले करने की।

जगमोहन ठाकुर
(वे लेखक के अपने विचार हैं)



उन्होंने कहा है कि जब देश में किसी को चिंता नहीं है तो मैं भी नहीं करूंगा देश अपना रास्ता खुद तय करेगा। सही भी है कि जब उनका रिटायरमेंट का समय नजदीक है तो वे क्यों कर सारी चिंताओं को अपने गले में बांधकर चुमेंगे। उनकी अपनी परेशानियाँ क्या कम है! एक तो उन्हें मन माफिक केस सुनने नहीं दिये गये और ऊपर से ये मुआ रिटायरमेंट नजदीक आ धमका। जब सपने टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं तो आदमी दुनियादारी भूलकर केवल और केवल अपने बारे में ही सोचने लगता है चाहे वह न्यायमूर्ति रहे हों या वह भी कह सकते हैं कि वे स्वयं को न्याय को देवता या पंचपरमेश्वर मानते रहे हों लेकिन जब ओहदा जाने का गम सताता है तो देश दुनिया की खबर दिमाग में उठर नहीं पाती है सत्ता का नशा ही एक ऐसा नशा है जिसमें इंसाना दीन दुनिया को फिक्र रखने का जन्मा जाहिर तौर पर दिखला सकता है वरना तो वह स्वयं दीन हीन और श्रीविहिन रहता है और ऐसे में क्या तो धोये और क्या निचोये!

खैर, वैसे तो उनकी बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता कि देश में किसी को चिंता नहीं है। अभी तो हाल यह है कि देश में हर किसी को चिंता खायें जा रही है। एक चिंता ही ऐसी चीज है जो

सर्वसुलभ है और इसका किसी को दाम भी नहीं चुकाना पड़ रहा है। हर कोई चिंतित है और चिन्तित होने के कारण भी है। इन चिंताओं का प्रकटीकरण भी समय-समय पर करते हैं और मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन कर ए बन्द-हड़ताल कर या फिर तोड़फोड़ और आगजनी कर अपने संवेदनशील होने तथा देश के लिए चिन्तित होने का सबूत तक दे देते हैं।

हर कोई चिन्तित है यहाँ श्रीमान जी

यह भी देखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति यही सोचकर दुबला हो रहा है कि जमाने भर की चिंता वह अकेला ही पाले बैठा है और दूसरों को कोई चिंता ही नहीं है। कोई रामलीला मैदान में बैठकर चिंता जाहिर कर देता है तो कोई मात्र छोले, भटूरे खाकर राजघाट पर उपवास जैसा महायज्ञ आयोजित कर अपनी चिंता का इज्जत करता है। मुना है कि राजनीति में जिसके हाथ में कुछ करने को

नहीं होता है, वह अपने भूखे रहने की मजबूरीवश अपनी चिंता जाहिर करने के लिए उपवास पर बैठ जाता है लेकिन राजनीतिज्ञों की प्रकृति के विपरीत एक नया ट्रेंड भी विकसित हुआ है जिसमें जो लोग सत्ता में रहते हैं वे अजीर्ण न हो इस दृष्टि से भी अपनी चिंता प्रकट करने के लिए सामूहिक उपवास का सहारा ले लेते हैं। ऐसे में हम कैसे मान लें कि देश में चिंता करने वाले हैं ही नहीं।

हाँ उनको एक बात तो स्वीकारना ही पड़ेगी, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश अपना रास्ता खुद तय करेगा। सही भी है कि देश अपना रास्ता खुद ही तो तय कर रहा है वह जिनपर भरोसा करता आया है या फिर जिनपर भरोसा कर रहा है, वे कसौटी पर खरे नहीं उतरे। खोटे को खोटा नहीं कहते हुए हर बार देश अपनी राह पर निकल पड़ता है। वैसे उसके सामने मॉजिल दिखाने वाला दिशा चक्र नहीं है और न ही मुख्य संकेतक क्योंकि जिनके जिम्मे यह काम रहा है उन्हें या तो दृष्टि भ्रम रहा है या फिर उन्होंने ही दृष्टि भ्रम पैदा किया है और इसीलिए आज देश चिंता कर रहा है और देश में रहने वाला हर वाशिंग्टन चिन्तित हो रहा है ऐसे में देश अपनी दिशा खुद ही तो तय करेगा जब लोग यह सोचने लग जाएं कि मुझे क्या करना है! अब देखते हैं कि देश किस दिशा में आगे बढ़ता है और चिंता करने वाले क्या करते हैं!

डॉ. प्रदीप उपाध्याय
(वे लेखक के अपने विचार हैं)